

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नई पहल के तहत की जा रही जनसुनवाई, जनसुनवाई के दौरान गूगल मीट के माध्यम से जुड़े हुये थानों को पीडितों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में दिये आवश्यक निर्देश..

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा जनपद महोबा में नई पहल के तहत जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये निरंतर गम्भीरता पूर्वक जनसुनवाई की जा रही है, जिसके क्रम में आज दिनांक 16.03.2023 को पुलिस कार्यालय में जनसुनवाई की गयी।

जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट की गयी जिसमें जनपद के प्रत्येक थाने के दिवसाधिकारी जुड़े रहे, इस दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उनसे उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया जिसके क्रम में फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण के लिये पुलिस अधीक्षक द्वारा गूगल मीट के जरिये थानों के दिवसाधिकारियों को पीडित की समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने/कराये जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाये जाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में सभी अधीनस्थों को निर्देशित किया गया कि जिस समस्या का समाधान थाना स्तर पर हो सकता है उन सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण थाना स्तर पर ही कराना सुनिश्चित करें।



थाना चरखारी पुलिस टीम ने वांछित

अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे निरंतर सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना चरखारी प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा गठित की गयी उ.नि. प्रवीण कुमार मय हमराह का. हिमांशू कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर वांछित अभियुक्त अवधेश कुमार अवस्थी पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद अवस्थी निवासी मोहल्ला धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी महोबा सम्बन्धित मु0अ0सं0 36/2023 धारा 498ए/504/506/306 आईपीसी व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित को मुखबिर की सूचना पर कस्बा चरखारी थाना चरखारी महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम :-

1. उ.नि. प्रवीण कुमार सिंह
2. का. हिमांशू कुमार थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

अवधेश कुमार अवस्थी पुत्र स्व0 बद्रीप्रसाद अवस्थी नि0 मु0 धनुषधारी कस्बा व थाना चरखारी जनपद महोबा।



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे निरंतर सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 16.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित टीम, उ0नि0 राजेश कुमार द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु.अ.सं. 50/23 धारा 354 भादवि व 8 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त धीरेन्द्र राजपूत पुत्र पंचम राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा को बसौरा रोड पर स्थित पुलिया से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को बाद गिरफ्तारी आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2. हे0का0 जगवीर सिंह
3. का0 राजेश सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त –

धीरेन्द्र राजपूत पुत्र पंचम राजपूत उम्र करीब 21 वर्ष निवासी सलारपुर थाना श्रीनगर जनपद महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा फायर स्टेशन महोबा का किया गया औचक निरीक्षण, सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

आज दिनांक 16.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर० के० गौतम द्वारा फायर स्टेशन महोबा का औचक निरीक्षण किया गया ।

निरीक्षण के दौरान कार्यालय के विभिन्न रजिस्ट्रों, अभिलेखों के रखरखाव, मैस, बैरक व भोजनालय आदि का अवलोकन कर सभी अभिलेखों को अद्यावधिक किये जाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित को निर्देश दिये गये, साथ ही साफ-सफाई की व्यवस्था के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये निर्देशों की समीक्षा करते हुये थाना परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई का अवलोकन किया एवं परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये गये ।

इस अवसर पर प्रभारी अग्निशमन अधिकारी श्री देवेश तिवारी सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कोतवाली महोबा के समस्त विवेचकों का किया गया अर्दली रुम, विवेचना निस्तारण के सम्बन्ध दिये गये सख्त दिशा-निर्देश।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा आज दिनांक 16.03.2023 थाना कोतवाली महोबा के समस्त विवेचकों का अर्दली रुम क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय की उपस्थिति में किया गया।

अर्दली रुम के दौरान समस्त विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से पूछताछ करते हुये लम्बित विवेचनाओं के कारण की समीक्षा की गई एवं अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायत देते हुए विवेचनाओं का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु सख्त निर्देशित किया गया तथा इस दौरान विवेचना में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में 01 उपनिरीक्षक के विरुद्ध जांच के आदेश दिये गये।

पुलिस अधीक्षक द्वारा समस्त विवेचकों को बताया गया कि जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं को लेकर आये उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुनकर समस्या का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करना/कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनपद में चलाये जा रहे विभिन्न अभियान एवं वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी अभियान की समीक्षा की जिसके क्रम में निर्देशित किया कि रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने, अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गये।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरपूर ।

आज दिनांक **16.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के **35** ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस